

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20, नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :- स्वाति गुप्ता आर.ए.एस.  
राजस्व वाद संख्या :- 003/2024

1. अंकित कुमार पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी सलेमगढ तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. सुमित कुमार पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी सलेमगढ तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।



-- वादीगण

बनाम

1. मनफूल पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी सलेमगढ तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. रामकुमार पुत्र मनफूल जाति जाट निवासी सलेमगढ तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. रामथारी पत्नी मनफूल जाति जाट निवासी सलेमगढ तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
4. चन्द्रकला पत्नी रामकुमार जाति जाट निवासी सलेमगढ तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
5. सिलोचना पुत्री मनफूल पत्नी राधेश्याम जाति जाट निवासी भोमपुरा तहसील रायसिंह नगर जिला श्रीगंगानगर।
6. सुनिता कुमारी पुत्री मनफूल पत्नी जयवीर जाति जाट निवासी कुंमथला तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
7. विमला देवी पुत्री मनफूल पत्नी भंवरलाल जाति जाट निवासी भोमपुरा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
8. सन्तोष पुत्री मनफूल पत्नी राजपाल जाति जाट निवासी कुंमथला तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।

अनिता पुत्री मनफूल जाति जाट निवासी सलेमगढ तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।  
10. त्रहसीलदार (राजस्व) टिब्बी।

-- प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा :-88, 53 आर.टी.ए.घोषणा एवं खाता विभाजन

निर्णय

दिनांक :- 20.02.2024

वादी की ओर से श्री सुभाषचन्द्र गर्ग अधिवक्ता की व प्रतिवादीगण की ओर से श्री करनैल सिंह अधिवक्ता की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 20.2.2024 को स्वाति गुप्ता आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष

अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर अन्तिम डिक्री की जाती है, कि वादी के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन करने तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वाद पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53 के अन्तर्गत स्वीकार किया जाकर

- (क.) वादी संख्या 1 अंकित कुमार को प्राप्त आराजी:-चक नम्बर 14 जी.जी.आर. के पत्थर नम्बर 181/292(35) किला नम्बर 4/1/0.228, 4/2/0.025 हैक्टर गैर मुमकिन खाला, 5/1/0.203, 5/2/0.050 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता, 6/1/0.228, 6/2/0.025 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता, 7/0.253 हैक्टर।
- (ख.) वादी संख्या 2 सुमित कुमार को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 16 जी.जी.आर. के पत्थर नम्बर 181/291(44) किला नम्बर 17, 18, 24, 25।
- (ग.) प्रतिवादी संख्या 1 मनफूल को प्राप्त आराजी:-चक नम्बर 16 जी.जी.आर. के पत्थर नम्बर 183/288(29) किला नम्बर 1, 2 पत्थर नम्बर 184/288(30) किला नम्बर 4, 5/1/0.228, 5/2/0.025 हैक्टर गैर मुमकिन खाला।
- (घ.) प्रतिवादी संख्या 2 रामकुमार को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 14 जी.जी.आर. के पत्थर नम्बर 182/291(23) किला नम्बर 4, 7, 13, 14, 17, 18, 21, 24।
- (ङ.) प्रतिवादी संख्या 3 रामप्यारी को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 14 जी.जी.आर. के खाता संख्या 144/138 में कुल 1.518 हैक्टर।
- (च.) प्रतिवादीया संख्या 4 चन्द्रकला को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 14 जी.जी.आर. के पत्थर नम्बर 181/293(38) किला नम्बर 3/1/0.228, 3/2/0.025 हैक्टर गैर मुमकिन खाला, 4/1/0.228, 4/2/0.025 हैक्टर खाला, 5/1/0.203, 5/2/0.025 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता, 5/3/0.025 हैक्टर गैर मुमकिन खाला, पत्थर नम्बर 182/292(34) किला नम्बर 1/1/0.228, 1/2/0.025 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता, 2/1/0.228, 2/2/0.025 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता, किला नम्बर 10/0.253।



७  
खाता और कालेक्ट  
पट्टेन महाभक्त कलेक्टर  
डिक्री

आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर खाता तकसीम कर रकमराज अलग से कायम की जाकर चक नम्बर 14 जी.जी.आर. के खाता संख्या 158/156 में से मनफूल का नाम कलमजन, चक नम्बर 14 जी.जी.आर. के खाता संख्या 144/138 में से मनफूल, रामकुमार का नाम कलमजन, चक नम्बर 16 जी.जी.आर. के खाता संख्या 76/72 में से रामकुमार का नाम कलमजन तथा मनफूल का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा

करीबी/बासनी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 20.02.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई



72  
(स्वाति गुप्ता)  
उपस्थित अधिकारी एवम्  
पदेनदेय सहायक कलक्टर  
दिव्य टिब्बी

### वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	---	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---	अर्जी के लिये स्टाम्प	---
प्रदर्श के लिये स्टाम्प	---	प्लीडर की फीस	---
रूपय पर प्लीडर की फीस	---	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	---
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	---	आदेशिका की तामिल	---
कमिश्नर की फीस	---	कमिश्नर की फीस	---
आदेशिका की तामिल	---		
योग	---	योग	---